न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 40 / 2020 तारीख रजू 22.01.2020

जगदीश पुत्र बल्ला जाति बैरवा निवासी कटार तहसील खण्डार --- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, खण्डार ---- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 01/12/22

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, खण्डार द्वारा मुकदमा नं0 293 / 19 मे पारित आदेश दिनांक 28.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम फरिया के आराजी खसरा नम्बर 772 / 482 रकवा 4 बीघा किस्म ब.का.च. पर संवत 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जिन्स उडद व जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि पटवारी हल्का फरिया ने अपीलान्ट के विरूद्व गलत एवं निराधार रिपोर्ट पेश की है और इस आधार पर लायक अदालत मातेहत ने अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये हुए एवं बिना अपीलान्ट का जवाब एवं दस्तावेजी सबूत लिये हुए विवादित निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है। यह कि अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है अपीलान्ट को रंजिशवश फंसाने की वजह से पटवारी हल्का द्वारा गलत एवं निराधार रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई है जिसकी कोई सत्यता नहीं हैं, इसलिए विवादित आदेश निरस्त होने योग्य है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली का सही तरीके से अवलोकन नहीं करके महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट को [illegible] बनाते हुए आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अन्त मे वकील अ[illegible] अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2019 को [illegible] करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:58:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट को तामील होने के बावजूद भी अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 07.09.2022 को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया किन्तु अपीलार्थी बावजूद तामील नियत दिनांक को अदालत मातहत में जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुआ है इस प्रकार वकील अपीलार्थी का यह कथन कि उसे बिना नोटिस दिये एवं बिना अपीलान्ट का जवाब एवं दस्तावेजी सबूत लिये हुए विवादित निर्णय पारित कर दिया, मान्य नहीं है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 28.11.2019 में अपीलन्ट के ख0नं0 772/483 रकवा 4 बीघा में संवत् 2076 में जिन्स उडद लगा कर अतिक्रमण करना बताया है जिसके संबंध में पत्रावली में फर्द जब्ती व नीलामी रिपोर्ट संलग्न है जिससे अपीलान्ट का उक्त ख0नं0 772/483 रकबा 4 बीघा पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होता है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अतिक्रमण नहीं करने के सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 28.11.2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01/12/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:58:25 IST
Reason: SelfAttested